

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत झानसू-साल्ड-
उपरीकोट मोटर मार्ग के किमी 14 से निसमोर मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी) हेतु सिविल सोयम भूमि एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र - उत्तराखण्ड राज्य
ii) जिला - उत्तरकाशी
iii) वन प्रभाग - उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी
8. वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन - आरक्षित वनभूमि व 0.035 हे० व
सिविल सोयम भूमि 0.203 हे०, कुल 0.238 हे०
वन भूमि प्रयोग की जायेगी।
- V) वन की कानूनी स्थिति - कुल 0.238 हे० आरक्षित/सिविल
सोयम भूमि
- i) हरियाली का घनत्व - 0.7
ii) प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि - वृक्षों की परिगणना सूची संयुक्त
श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाएँ)। सिचाई/जलीय परियोजनाओं के निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज/संलग्न
सम्बन्ध में एफओआरओएलओ - 8 मी० पर परिगणना भी संलग्न किए जाएँ है।
- iii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी - भूक्षरण के लिए संवेदनशीलता
नहीं है।
- iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी - वन क्षेत्र के अन्दर है।
- v) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य- नहीं।
जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयाँ अनुबन्धित की जाएँ)
- vi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ- नहीं।
/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दे।
- vii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/- नहीं।
रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या
- 8- प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित- प्रस्तावित 0.238 हे० वन भूमि
आवश्यक एवं न्यूनतम है।
वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र
के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। संलग्न है।

- 9- क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया- नहीं।
है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।
- 10- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा-
i. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित - संलग्न है।
वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।
ii. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित - संलग्न है।
वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।
iii. रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित - संलग्न है।
प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।
iv. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल - संलग्न है।
वित्तीय परियोजना।
v. प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित - लागू नहीं।
क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।
- 11- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) संलग्न है।
- 12- प्रभाग/जिला प्रोफाइल - पी०एम०जी०एस०वाई०, सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी/वन प्रभाग उत्तरकाशी
801600 हे०
695783.35 हे०
356 तथा 1208.41576 हे०
- जिला का भौगोलिक क्षेत्र। -
i. जिला का वन क्षेत्र। -
ii. मामलों की संख्या सहित 1980 से -
वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।
iii. 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल -
प्रतिकूल वनीकरण
(क) ढण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित -
वन भूमि
(ख) वनेत्तर भूमि पर
अब तक प्रतिपूरक वनीकरण
में हुयी प्रगति
(क) वन भूमि पर
(ख) वनेत्तर भूमि पर
रिक्त
487.50 हे०
रिक्त
487.50 हे०
- 13- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने- कार्यदायी संस्था द्वारा वन सम्पदा की सुरक्षा हेतु समुचित प्रयास किये जायेंगे अतः संस्तुति की जाती है।
के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।

दिनांक 21-9-2015
स्थान.....उत्तरकाशी

हस्ताक्षर

नाम उत्तरकाशी वन प्रभाग
सरकारी मोहर उत्तरकाशी

